राष्ट्रीय जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22.02.2021 में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद स्तरीय जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 22.02.2021 को अपरान्ह 4:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के निम्नवत् पदाधिकारी उपस्थिति थे :–

1– जिलाधिकारी, हरदोई।
2– मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
3– जिला विकास अधिकारी, हरदोई।
4– उपायुक्त, जिला उघोग केन्द्र, हरदोई।
5– बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई।
6– जिला कृषि अधकारी, हरदोई।
7– जिला वनाधिकारी, हरदोई।
8– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई।
9– अधिशासी अभियन्ता, उ0 प्र0 जल निगम, हरदोई।
10– सहायक अभियन्ता,लघु सिंचाई, हरदोई।
11– श्री विपिन मिश्र, देव ऋषि एजूकेसनल सोसाइटी के प्रतिनिधि।
12– श्री नरेन्द्र कुमार, तन्मय इन्सटीट्यूट आफ कम्पयूटर एजूकेशन के प्रतिनिधि।
13– श्री रजत सिंह, मे0 मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0 लि0 के प्रतिनिधि।
14– श्री एन0 जगदीश, मे0 एन0 सी0 सी0 लि0 के प्रतिनिधि।

1– अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा कियान्वियत जल जीवन मिशन का प्रमुख ध्येय पाईप पेयजल योजनाओं से अनाच्छादित प्रदेश की ग्रामीण बस्तियों को मार्च–2024 तक पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित करते हुए 55 एल0पी0सी0डी0 की दर से मानक के अनुसार क्रियाशील नल संयोजन के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाना है, जिसके क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है। मिशन के मुख्य कार्य निम्नवत् है :–

1. प्रत्येक ग्राम में (FHTC) हेतु विलेज एक्शन प्लान (VAP) तैयार कराना।
2. वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को (FHTC) प्रदान करने के लिए जिला कार्य योजना (DAP) को अन्तिम रूप देना।
3. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन जिले में इन–विलेज जलापूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना।
4. कन्वेजन्स के माध्यम से सोर्स सस्टेनविलिटी के कार्य एवं ग्रे–वाटर मैनेजमेंट हेतु धनराशि उपलब्ध कराना तथा इन अवयवों के सम्मिलित होने पर ही DPR आगणन का अनुमोदन करना।
5. कार्योन्वयन सहायता एजेन्सियों (ISA) के सहयोग हेतु ग्राम पंचायतों का चिन्हीकरण, सूचीबद्ध कार्यान्वयन सहायता एजेन्सियों को कार्य आवंटित करना तथा कार्यो का अनुश्रवण करना।
6. विलेज एक्शन प्लान में सक्रिय भागीदारी के लिये PHED/RWS विभाग का आवश्यक दिशा–निर्देश देना तथा ग्राम पंचायत/उप समिति से परामर्श उपरान्त डी0पी0आर0 तैयार करना।
7. विलेज एक्शन प्लान्स (VAP) जिसमें इन–विलेज इन्फ्रास्ट्रचर या नई योजना के साथ कार्यान्वयन हेतु समय–सीमा सम्मिलित हो, को अनुमोदन प्रदान करना।
8. SWSM द्वारा निर्धारित डिजाइनों में से यूनिट टाइप डिजाइन तथा लागत को अनुरूप देना तथा अनुमोदन कराना।
9. वार्षिक अनुमानित आवश्यकता के आधार पर सूचीबद्ध एजेन्सियों की उपलब्धता सुनशिचित करना उनको कार्य आवंटित करना।

10. भुगतान से पूर्व थर्ड पार्टी एजेन्सी से निरीक्षण कराना।
11. ग्राम पंचायतों की उप–समिति, अर्थात वी0डब्लू0एस0सी0 / पानी समिति / उपभोक्ता समूह इत्यादि के सहायता तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु सहयोग करना।
12. ग्राम पंचायत और / या इसकी उप–समिति, अर्थात वी0डब्लू0एस0सी0 / पानी समिति / उपभोक्ता समूह के साथ समन्वय करना, सूचनाऐं एकत्र करना तथा जिला कार्य योजना (डी0ए0पी0) तैयार कर पेयजल एवं स्वच्छता मिशन SWSM को प्रेषित करना।
13. प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम (PMKVK) के साथ समन्वयन कर कुशल मानव संसाधन तैयार करना जिनके सहयोग से इन–विलेज इंफ्रास्ट्रचर बनाया जा सके। इस हेतु सपोर्ट मद धनराशि व्यय की जा सकती है।
14. जल जीवन–मिशन JJM की भौतिक और वित्तीय प्रगति को एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली IMIS पर नियमित अपडेट करना।
15. भौतिक और वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण।
16. स्वंय सेवी संस्थग / स्वैच्छि संस्था / सामुदायिक आधारित संस्था भागीदारों को कार्यान्वयन सहायक एजेन्सियों (ISA) के रूप में तैनात करना।
17. आई0ई0सी0 / वी0सी0सी0 रणनीति को लागू करना तथा मात्राकृत सपोर्ट मद की धनराशि का प्रभावी उपयोग करना।
18. राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किये जाने वाले व्यक्तियो का चिन्हीकरण करना, जिनके माध्यम से ग्राम पंचायत और / या इसकी उप–समिति, अर्थात वी0डब्लू0एस0सी0 / पानी समिति / उपयोगता समूह, आदि का क्षमता संवर्धन किया जा सके।
19. ग्राम पंचायत और / या इसकी उप–समिति, अर्थात वी0डब्लू0एस0सी0 / पानी समिति / उपभोक्ता समूह, आदि कमीशन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त आई0एम0आई0एस0 पर एफ0ए0च0टी0सी0 अपलोड करना।
20. जे0जे0एम0 आई0एम0आई0एस0 पर जिले की रिपोर्ट, सफलता की कहानियों, बेस्ट प्रेक्टिसेस का अनुमोदन तथा साझा करना।
21. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ किये गये अभियानों का संचालन करना।
22. उत्संग कार्य कर रही ग्राम पंचायत और / या इसकी उप–समिति, अर्थात वी0डब्लू0एस0सी0 / पानी समिति / उपभोग समूह, आदि और कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आई0एस0ए0) को समय–समय पर चिन्हित कर बढ़ावा देना।
23. सुधारात्मक कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य संकेतक, जल जनित बीमारियों आदि के डेटा का विश्लेषण।
24. आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत और / या इसकी उप–समिति, अर्थात वी0डब्लू0एस0सी0 / पानी समिति उपयोगकर्ता समूह, आदि के पदाधिकारियों हेतु एक्सपोजर विजिट की व्यवस्था करना।
25. जल जीवन मिशन (जे0जे0एम0) के प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर राज्य विशिष्ट नारों का दीवार लेखन सुनिश्चित करना।
26. सूखे / बाढ़ जैसी आपदाओं के समय से सहयोग करना।
27. शिकायतो का निस्तारण।
28. समस्त सूचनाओं को आई0एम0आई0एस0 पर अपलोड करना।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उ0प्र0 के पत्र संख्या 2240 / डब्लू–22 / एन0आई0टी0 / 2020–21 दिनांक 18.01.2021 द्वारा मै0 एन0सी0सी0 लिमिटेड हैदराबाद को पूर्व निर्मित परियोजनाओं में पुनर्गठन कार्य हेतु, गुणता प्रभावित बस्तियों में पेयजल परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु एवं अन्य 400 ग्रामों में पेयजल कार्यो हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम / सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग)

2— **पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन**

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उ0प्र0 के निर्देश पत्र संख्या 2240 / डब्लू–22 / एन0आई0टी0 / 2020–21 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा निम्नलिखित 10 ग्रामों की सूची पुनर्गठन हेतु प्रेषित की गयी है:–

1— सधई बेहटा
2— भरावन
3— खिम्मापुरवा
4— कुरसेली
5— मानपुर
6— पहुँतेरा
7— पसनेर
8— तेरवा दहिगवॉ
9— छिबरामऊ
10— जरसेनामऊ

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त 10 ग्रामों में क्रमांक 01 से 08 तक के ग्रामों में पाईप पेयजल योजनाओं के कार्य जल निगम द्वारा पूर्व में ही कराये जा चुके हैं। अतः उक्त ग्रामों में पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं है। क्रमांक 9 एवं 10 पर अंकित परियोजनाओं का पुनर्गठन किया जाना है, क्योंकि उक्त परियोजनायें 40 एल0पी0सी0डी0 की दर से निर्मित थी तथा योजनाओं का डिजाईन पीरियड वर्ष 2022 में पूर्ण हो रहा है।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को तदनुसार अवगत करा दिया जाये।

(कार्यवाही सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग /अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

3— **गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल परियोजना का कार्य**

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उ0प्र0 के निर्देश पत्र संख्या 2240 / डब्लू–22 / एन0आई0टी0 / 2020–21 दिनांक 18.01.2021 द्वारा गुणता प्रभावित कुल 05 ग्रामों की सूची प्रेषित की गयी है, जो निम्नवत है : –

1— कटरी परसोला
2— अजमतनगर सिसाला
3— कोइलरा
4— जफरपुर
5— कुचिला

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त 05 ग्रामों में कमांक 05 पर उल्लिखित ग्राम कुचिला में पूर्व से ही योजना निर्मित है। अतः उक्त ग्राम में पेयजल योजना बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। शेष क्रमांक 1 से 4 तक के ग्राम गुणता प्रभावित हैं। जिनमें योजना बनाया जाना प्रस्तावित है।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त कार्यवाही हेतु संबधित को तदनुसार अवगत करा दिया जाये।

(कार्यवाही सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग/अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

4— **रेट्रोफिटिंग योजनाओं पर चर्चा**

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पूर्व में निर्मित करायी गयी पाईप पेयजल योजनाओं जिनमें पेयजल गृह संयोजन के कार्य शत–प्रतिशत प्राविधानित नहीं थें, को रेट्रोफिटिंग में सम्मिलित किया गया है, जो निम्नवत है:–

क्र0 सं0	योजना का नाम	कुल हाउस होल्ड की संख्या (वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर)	क्रियाशील पेयजल गृह संयोजन की संख्या (01.04.2020 को)	अवशेष पेयजल गृह संयोजन की संख्या	रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत स्वीकृत पेयजल गृह संयोजन की संख्या
1	रैंसो	967	812	155	155
2	रायपुर	559	460	99	99
3	पलिया सिसाला	1665	1505	160	160
4	अहिरोरी	1552	1330	222	222
5	खजुरहरा	3655	922	2733	2733
6	तेजीपुर	1001	814	187	187
7	दहेलिया	1309	825	484	484
8	पंहुतेरा	1010	539	471	471
9	अटवा कटैया	1173	687	486	486
10	मुण्डेर	1395	1155	240	240
11	हरपालपुर	1945	0	1945	1945
12	गौसंगज	2429	0	2429	2429
13	मझिला	1383	0	1383	1383
14	बावन	2582	160	2422	2422
15	परसोला	579	0	579	579
16	कुचिला विजना	1169	0	1169	1169
17	मझिगंवा	2414	0	2414	2414
18	लोनहारा	2300	0	2300	2300
19	बेंहदर कलां	1404	0	1404	1404
20	अर्न्धरा	500	0	500	500
	योग				21782

उपरोक्त योजनाओं का जल निगम द्वारा प्राक्कलन विरचित करते हुए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0एस0सी0) से स्वीकृत कराते हुए नियमानुसार ई–निविदा आमंत्रित कर अनुबंध गठित करते हुए कार्य कराये जा रहें है। जिसके सापेक्ष कुल स्वीकृत 21782 नग. पेयजल गृह संयोजन के सापेक्ष खण्ड द्वारा 12998 क्रियाशील पेयजल गृह संयोजन पूर्ण कराये जा चुके हैं। यद्यपि अनुबंध के अनुसार उपरोक्त कार्यो को जुलाई–2021 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, किन्तु विभाग द्वारा विशेष प्रयास करते हुए उपरोक्त कार्यो को मार्च–2021 तक पूर्ण किये जाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम)

5– <u>अन्य 400 ग्रामों को पेयजल योजनाओं से आच्छादित करने हेतु चयन पर विचार</u>

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया, कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उ0प्र0 के पत्र संख्या 2240/डब्लू–22/एन0आई0टी0/ 2020–21 दिनांक 18.01.2021 एवं 2350/डब्लू–22/एन0आई0डी0/2020–21 दिनांक 23.01.2021 के द्वारा पुनर्गठन तथा गुणता प्रभावित ग्रामों के अतिरिक्त अन्य 400 ग्रामों के आच्छादन हेतु मै0 एन0सी0सी0 लिमिटेड हैदराबाद को सूचीबद्ध किया जा चुका है, उक्त संस्था को जनपद के अन्य 400 ग्रामों के आच्छादन हेतु सूची तैयारकर उपलब्ध करायी जानी है। उक्त 400 ग्रामों के चयन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अपने उपरोक्त पत्र के माध्यम से निम्नवत प्राथमिकता निर्धारित की गयी है:–

1– जेई0/ए0ई0एस से अत्यधिक प्रभावित बस्तियॉ

2– आंकाक्षात्मक ग्राम

3– सांसद आदर्श ग्राम

4– अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्राम

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई के कार्यालय से जे0ई0 / ए0ई0एस से प्रभावित बस्तियो से सम्बन्धित 31 ग्रामो की सूची प्राप्त हुई है, जिसमे से 4 ग्रामो मे पूर्व से ही योजना निर्मित है। 02 ग्राम नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत आते है एव 01 ग्राम सासद आदर्श ग्राम मे चयनित है। इस प्रकार उपरोक्त 31 ग्रामो मे केवल 24 ग्रामो मे पेयजल सम्बन्धी कार्यवाही की जानी है। उपरोक्त जे0ई0 / ए0ई0एस0 प्रभावित 24 ग्रामों मे से 02 ग्राम ऐसे है, जो अनुसूचित जाति / जन जाति बाहुल्य ग्रामों की सूची मे भी आते है। अत: इन 02 जे0ई0 / ए0ई0एस0 प्रभावित ग्रामो को अनुसूचित जाति / जनजाति बाहुल्य ग्रामों की सूची मे प्रस्तावित करते हुए अवशेष 22 जे0ई0 / ए0ई0एस0 प्रभावित ग्रामो को सूची मे सम्मिलित किया गया है। ग्रामों का विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	जे0ई0 / ए0ई0 से प्रभावित ग्राम का नाम
1	कछौना	केहलइया
2	टडियावा	बरगावां
3	अहिरोरी	साबादपुर
4	सुरसा	महुराकला
5	टडियावा	जपरा
6	अहिरोरी	ढपरापुर
7	पिहानी	इटारा
8	टोडरपुर	सुन्दरपुर
9	बावन	बलेहरा
10	साण्डी	बम्बटापुर चिल्लौर
11	मल्लावां	लालपुर भसूडा
12	बिलग्राम	हसनापुर
13	मल्लावां	औसानपुर
14	हरपालपुर	शहाबुद्दीनपुर
15	भरखनी	दिबियापुर पाण्डेयपुर
16	भरखनी	बडौरा
17	शाहाबाद	वासितनगर
18	कोथावां	हुलासपुर
19	साण्डी	कैखाई
20	बिलग्राम	चौधरियापुर
21	साण्डी	सेमरिया
22	बावन	गढिया झब्बू

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में आकांक्षात्मक ग्रामों की सूचना शून्य है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत कुल 09 ग्राम चयनित है जिसमें 06 ग्रामों में पूर्व से ही पेयजल योजना निर्मित करायी जा चुकी है शेष 03 ग्रामों में पेयजल योजना निर्मित नही है, जिनका विवरण निम्नवत है।

1– फत्तेपुर गयन्द वि0ख0 टोडरपुर मा0 सासद श्री अशोक वाजपेयी जी द्वारा चयनित।
2– जरहा वि0ख0 बेहन्दर मा0 सांसद श्री अशोक रावत जी द्वारा चयनित।
3– बूढा गॉव वि0ख0 हरियावॉ मा0 सांसद श्री जयप्रकाश जी द्वारा चयनित।

उपरोक्त तीनों ग्रामों में पेयजल योजना प्रस्तावित की जानी है।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार जे0ई0 / ए0ई0एस0 प्रभावित 22 ग्रामों तथा सांसद आदर्श योजना के 03 ग्रामों के अतिरिक्त 375 ग्रामों का चयन अनुसूचित जाति /जन जाति बाहुल्य ग्रामों से किया जाना है। अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का चयन जनपद के राजस्व ग्रामों में अनुसूचित जाति की आबादी के प्रतिशत के अवरोही क्रम में किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार जे0ई0 / ए0ई0एस0 प्रभावित 22 ग्राम, सांसद आदर्श योजना में चयनित 03 ग्राम तथा अनुसूचित जाति / जन जाति बाहुल्य 375 ग्रामों सहित कुल 400 ग्रामों की सूची प्रस्तावित की गयी जिस पर विचारोपरान्त मिशन द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार नवीन पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु चयनित ग्रामों की सूची सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को प्रेषित कर योजनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक (50मी0×50 मी0) भूमि के चिन्हांकन की कार्यवाही भी सुनिश्चित करा ली जाये।

(कार्यवाही सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग)

6— **मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 द्वारा किये गये बेस लाईन सर्वे कार्य पर चर्चा**

शासन के पत्र संख्या 1955/76—01—2020—31सम/2020 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग—1 दिनांक 20.10.2020 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त परिवारों के पेयजल सम्बन्धी आधारभूत ऑकड़े एकत्र किये जाने के उद्देश्य से बेस लाईन सर्वे का कार्य दिनांक 21.09.2020 से अनुबन्धित संस्था मैसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट, प्रा0लि0 लखनऊ से कराये जाने हेतु अनुबन्धित किया गया। संस्था द्वारा बेस लाईन सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस पर सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित संस्था द्वारा सर्वेक्षण से पूर्व विभाग से सम्पर्क नहीं किया गया एवं न ही सर्वेक्षण के सम्बन्ध में कोई जानकारी दी गयी। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त संस्था के कार्यो का न तो बैलीडेशन डी0डब्लू0एस0एम0 द्वारा किया जायेगा और न हीं संस्था के देय भुगतान की संस्तुति की जायेगी।

(कार्यवाही सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग)

7— **ISA (Implementation Support Agency) की भूमिका पर चर्चा**

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों में गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सेवी संघटनों, महिला स्व सहायता समूहों, सी0बी0ओ0, न्यासों एवं प्रतिष्ठानों को आई0एस0ए0 कहा गया है। उक्त एजेन्सियॉ ग्राम आपूर्ति संरचना की आयोजन, डिजाईन, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, प्रचालन और रखरखाव के लिए समुदायों को प्रेरित करने और साथ लाने में एक भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। एस0डब्लू0एस0एम0 द्वारा पैनल में शामिल कार्यान्वयन में सहायता एजेन्सियों में से एक आई0एस0ए0 की नियुक्ति डी0डब्लू0एस0एम0 द्वारा की जायेगी।

शासन के पत्र संख्या 03/20—21/423(1)/76—1—2021—03—शिकायत/2020 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग—1 दिनांक 5.2.2021 द्वारा योजना के कियान्वयन में सहयोग एवं सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु सहयोगी संस्थाओं/स्वयंसेवी संस्थाओं को जनपद में प्रचार प्रसार एवं इनके कार्य हेतु गतिविधियों का निर्धारण किया गया है। जिसके कम में हीं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक 2434/डब्लू—314/जे0जे0एम0 —आई0एस0ए0/2020—21 दिनांक 25.01.2021 द्वारा जनपद हरदोई हेतु निम्नलिखित सपोर्ट एजेन्सियों का चयन कैटेगरी वार किया गया है।

क0सं0	संस्था का नाम	कैटेगरी
1	देव ऋषि एजूकेसनल सोसाइटी	ए
2	चेतना सेवा संस्थान	ए
3	भावना सेवा संस्थान	बी
4	एक्शन फार रूरल डेवलपमेंट	बी
5	तन्मय इन्सटीट्यूट आफ कम्पयूटर एजूकेशन	सी

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संस्थाओं द्वारा इम्पलीमेंन्टेशन प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाये तथा साथ ही साथ उक्त प्लान में मैन पावर का विस्तृत उल्लेख किया जाये, तदनुसार संस्थाओं को कलस्टर आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग)

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

o/c 01/03/2021

(ए0के0त्रिपाठी)
अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/
सदस्य सचिव

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम, हरदोई।

पत्रांक 537 /क–70/26/ दिनांक 01–03– 2021

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

1– समस्त सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हरदोई।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदया, हरदोई।
3– जिलाधिकारी महोदय, हरदोई।
4– अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

01/03/2021

o/c अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/
सदस्य सचिव